प्रेस नोट
दिनांक 03.02.2025, जनपद गोण्डा।

पदोन्नति
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उप निरीक्षक को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर उनके कंधो पर स्टार लगाकर बधाई दी गयी व उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की गयी ।

आज दिनाकं 03.02.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा के थाना परसपुर में तैनात वरिष्ठ उप-निरीक्षक उ0नि0 श्री सभाजित सिंह को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर स्टार लगाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी गयी तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाए दी गई। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपने नई जिम्मेदारीयों को भलिभाँति समझे तथा प्राथमिकाता के आधार पर जनता की जनसमस्याओं को सुने व उनके समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण शत-प्रतिशत निस्तारण कराए।
इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 03.02.2025</u>

<u>थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–495/24, धारा 318(4), 319(2),338, 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विष्णुपाल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह नि0 छितवापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को बस स्टैण्ड कर्नलगंज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 21.11.2024 को वादी राममनोहर सिंह पुत्र विजय पाल सिंह नि0 छितवापुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में सूचना दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके वादी की जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 03.02.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त विष्णुपाल सिंह को कर्नलगंज बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. विष्णुपाल सिंह पुत्र वासुदेव सिंह नि0 छितवापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–495/24, धारा 318(4), 319(2),338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 सुनील कुमार।
02. म0उ0नि0 आरती गौतम।
03. हे0का0 अरविन्द राणा।
04. का0 राघवेन्द्र सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 03.02.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 ग्राम लखईया थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 312 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 03.02.2025 को चौकी प्रभारी तिवारी बाजार उ0नि0 आलोक कुमार राय मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि सूचना पर वनवरिया मोड के पास से अभियुक्त अर्जन सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 312 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अर्जुन सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 ग्राम लखईया थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 312 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–81/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 आलोक कुमार राय।
02. हे0का0 मेहताब खां।
03. हे0का0 सुरेश सिंह।
04. का0 योगेन्द्र मौर्य।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.02.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान कटहाघाट पुल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण–01. अमित यादव पुत्र हरिशंकर यादव नि0 चांदपुर सोतिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा, 02. फरहाद खां पुत्र मो0 शरीफ नि0 कटहरिया मोहल्ला सुभाष नगर नई बस्ती थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर प्रो मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 03.02.2025 को थाना को0 देहात के उ0नि0 विजय बहाहुर यादव मय हमराह फोर्स के साथ कटहाघाट पुल के पास रात्रि गस्त/वाहन चेकिंग कि जा रही थी कि एक संदिग्ध मोटरसाइकिल की चेकिंग के दौरान उस पर सवार 02 अभियुक्तों– अमित यादव, 02. फरहाद खां को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अददद हीरो स्पेलेण्डर प्रो मोटरसाईकिल बरामद किया गया। थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अमित यादव पुत्र हरिशंकर यादव नि0 चांदपुर सोतिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. फरहाद खां पुत्र मो0 शरीफ नि0 कटहरियाय मोहल्ला सुभाष नगर नई बस्ती थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–40/2025, धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–594/2016, धारा 379 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर प्रो मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विजय बहादुर यादव।
02. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
03. हेड का0 शत्रुघन मौर्या।
04. हे0का0 करन यादव।
05. का0 जागेश्वर गौड़।

मीडिया सेल, गोण्डा।